



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।



क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011-12

जयपुर, दिनांक :

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,

समस्त राजस्थान।

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबंध में।

प्रसंग:- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 15.04.2025 एवं 26.05.2025

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रों के द्वारा अत्यधिक गर्मी व तापमान के प्रकोप के दृष्टिगत श्रमिक नियोजन के समय में परिवर्तन किया गया था। वर्तमान में राज्य में मानसून के सक्रिय होने के फलस्वरूप उक्त प्रासंगिक आदेश को प्रत्याहरित किया जाता है। श्रमिकों का नियोजन का समय सामान्य मौसम के अनुसार यथावत किया जावे।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(पुष्पा सत्यानी)

शासन सचिव, ग्रा.वि. विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रा.वि.वि।
5. मुख्यालय पर पदस्थापित समस्त अधिकारीगण।
6. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
8. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. कार्यक्रम अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
10. प्रोग्रामर, ईजीएस को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

